

Original

Handwritten signature

संख्या- 4755/15-7-16 1821/1995

प्रेषण

श्री अशोक वांगुनी,  
संस्कृत विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

Recognition/NOC

सेवा में

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा ब्लॉक 2 संजय भंडू,  
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुमान

संख्या: दिनांक: 22 जनवरी, 1996

विषय:- उत्तम स्कूल कार कर्ष शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सी०बी०एन०ई नई दिल्ली में सम्मिलित हो अनुपारित प्रमाण बन देने जाने के संबंध में ।

संदर्भ

अवसृत विषय पर मुझे यह पढ़ने का निदेश हुआ है कि उत्तम स्कूल कार कर्ष शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सी०बी०एन०ई नई दिल्ली में सम्मिलित प्रदान होने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुपारित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत होनाहोती का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रकल्प क्षमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसृत जाति/अनुसृत जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवर्धित विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिए नियमित भुक्त से अधिक भुक्त नहीं किया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्मिलित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीतिन कर दि ईडिबन स्कूल लीं फिरेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्मिलित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पत्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के वैधिक सर्व सम्पत्त कर्मचारियों की राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षा कर्मचारियों के कर्मचारियों की अनुसृत वेतनमानों तथा अन्य बातों से कम वेतनमान तथा अन्य बातें नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवाओं कायों जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनुसृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसृत सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।



178 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैरबा उनका पालन करनी ।

188 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम/संक्रियाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्ता शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि तैरबा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय में कालनमी तथा प्रवेश पुस्तक के मूट में कोई सुस्तक नहीं किया जा रहा है ।

121 विद्यालय में किया जा रहा कम्प्युटर पुस्तक तथा पाठिक पुस्तक कम कर दिया जायत गया है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरबा के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैरबा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्ता पालन करने में किसी प्रकार की सुस्त या सिस्थिता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

शुशील शर्मा  
संयुक्त सचिव ।

पुस्तक 4755111/15-7-1996 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाई स्व आचरक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सञ्जक ।
- 2- सञ्जकीय उच्च शिक्षा निदेशक मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नाबियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, उच्च भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सञ्जक ।
- 5- प्रबन्धक, उत्तम स्कूल कार कर्त शास्त्रीनगर नाबियाबाद ।

जगत मे,

*Signature*

For UTTAM SCHOOL FOR GIRLS

*Signature*

शुशील शर्मा  
संयुक्त सचिव ।

121